

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।  
संख्या:- 1887 / 1जी- FP/UK/ROAD/29708/2017 देहरादून: दिनांक: 07 दिसम्बर, 2017

सेवा में,

प्रभारी सचिव,  
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,  
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद-रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र के केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत भणज-ग्वाड़-मचकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.76 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन। Online Propsoal No- FP/UK/ROAD/29708/2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। अतः प्रस्ताव 1.00 है० से कम क्षेत्रफल तथा प्रति है० 50 से कम अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति राज्य सरकार स्तर से प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(विनोद कुमार)  
अपर प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी

संख्या / 1जी- FP/UK/ROAD/29708/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
5. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग/पी०एम०जी०एस०वाई०, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, जनपद-रूद्रप्रयाग।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
8. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)।

(विनोद कुमार)  
अपर प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी

## भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम:- जनपद-रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र के केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत भणज-ग्वाड़-मचकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.76 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन। Online Propsoal No- FP/UK/ROAD/29708/2017

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु रूद्रप्रयाग वन प्रभाग में 0.76 हे० पंचायत वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः -रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र के केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत भणज-ग्वाड़-मचकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जनहित में प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (विनोद कुमार भा.प्र.सं.)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण  
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी  
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड  
देहरादून

सरकारी मोहर:

तिथि : 07 / 12 / 2017

स्थान : देहरादून